

**फर्द अहकाम**

बनाम रामेश

माल्य

क्रमा 110/22-72

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
4/1/2023	<p>पत्रावली प्रस्तुत   त. फ. उप. 1   अग्रणी संख्या - 9 की ओर से त्कालतनामा पेश हुआ   अग्रणी 1 ता 6 आ. तो. पेशी या त्कालतनामा पेश के। पत्रावली को त्कालतनामा मय जवाब न। हेतु डिक 6/1/2023 को पेश हो</p>	<p>सहायक कलेक्टर जालंधर जिला</p>
6/1/2023	<p>पत्रावली प्रस्तुत   त्कील पार्की उपस्थित। अग्रणी संख्या 4, 5, 10 बाल गुड तामील जालंधर उपस्थित रहे पर एक पक्षीय कार्यवाही की जाती है। अग्रणी संख्या 1, 2, 3, 6 की ओर से त्कालतनामा व जवाब प्रोपु न। पेश हुआ जवाब प्रोपु की फीत, पार्की अधिवक्ता को फिलवार्ड गई। पत्रावली को त्कालतनामा प्रोपु अग्रणी निषेधाज्ञा हेतु डिक 16/1/2023 को पेश हो</p>	<p>सहायक कलेक्टर जालंधर जिला</p>
16/1/2023	<p>पत्रावली प्रस्तुत   त्कालतनामा उपस्थित   उभयपक्ष अधिवक्ताओं की बहस प्रोपु सुनी गई। पार्की अधिवक्ता ने दौरान बहस कथन किया की अग्रणी विवाहित आराम की ले चान करके पर आग्रह है अगर अग्रणी विवाहित</p>	<p>सहायक कलेक्टर जालंधर जिला</p>

### फर्द अहकाम

नम्बर 315 बनाम शैश


नाम न्यायालय

केस संख्या 110/2022

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
-------------	---------------------------	----------------------

इस बाबत सफलता मिल जायेगी तो वाड का उद्देश्य समाप्त हो जायेगा। लाभ ही मूल वाड में प्राथमिक डिक्री किया जा चुका है। अप्रार्बिगिण के औशवत्ता ने प्रार्बी के कर्षण का खर्च किया। प्रार्बी व अप्रार्बिगिण की बहस व जवाब का अवलोकन किया गया। प्रकार बंटवारे का है। पक्षकारों के मध्य आमलाती भूमि है, विभाजन होना है, मूलवाड में प्राथमिक डिक्री जारी की जा चुकी है। अतः विवाहग्रन्त भूमि के संरक्षण के लिए डिंडांड 22/11/2022 को जारी अन्तर्ग्रन्त स्वयंश आदेश को मूलवाड के निस्तारण तक स्थगित किया जाता है।

पजवली फेजल शुक्रा होकर  
दाखिल पत्र हो

  
सहायक कलक्टर  
आमेर डू जयपुर